भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1136
उत्तर देने की तारीख 02 दिसंबर, 2024
11 अग्रहायण, 1946 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाना

1136. श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा छोटे शहरों और अल्प विकसित क्षेत्रों के एथलीटों के लिए अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा झारखंड राज्य में कितने बहुउद्देशीय खेल परिसरों का निर्माण किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का जमशेदपुर में भी खेल स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को तैयार करने और एथलीटों के लिए अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में खेलों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्कीमें लागू करता है:

(i) "खेलो इंडिया- राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम" स्कीम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण स्कीम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत, यह मंत्रालय खेल उपकरण के साथ-साथ खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल,स्विमिंग पूल आदि, जैसी मूलभूत खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत, सरकार देश भर में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों की सहायता करती है। देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत एक परियोजना, अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स) धनबाद, झारखंड में 12 कोर्ट हॉल के साथ बहुउद्देश्यीय इनडोर हॉल के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। तथापि, स्कीम के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स) धनबाद द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं का पालन न करने के कारण, इस मंत्रालय ने इस परियोजना को नवंबर 2021 में रद्द कर दिया था।

(घ) जी नहीं। इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****